

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-11न०वि०न्या०-अकादमी-07/2018 ..... न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक- 05.03.19

बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट (पुराना परिसर) के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के क्रम में बहुद्देशीय भवन के निर्माण एवं पटना समाहरणालय भवन परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के क्रम में नये भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि-22(1) के तहत प्रभावी प्रतिबंध को उपविधि-88 के तहत शिथिल करने हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अनुरोध पर, पटना महायोजना-2031, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिसूचना संख्या-2458 दिनांक-07.10.2016 एवं भवन उपविधि के प्रावधानों के आलोक में विचार किया गया। पटना महायोजना-2031, की कंडिका-5.4.6 (Special Area) में सरकारी परियोजनाओं के विकास/पुनर्विकास के संबंध में किये गये प्रावधान, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिसूचना संख्या-2458 दिनांक-07.10.2016 की कंडिका-3(एल) के तहत प्रस्तावित स्थल के सक्रिय बाढ़ मैदान में अवस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना एवं पटना महायोजना-2031 के लिए विकास नियंत्रण विनियमावली (बिहार भवन उपविधि, 2014) की उपविधि-22 (नदी के सामने की भूमि निकट निर्माण) के प्रावधान में संशोधन हेतु जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में क्रमशः बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट (पुराना परिसर) में प्रस्तावित बहुद्देशीय भवन के निर्माण एवं पटना समाहरणालय परिसर के पुनर्विकास के क्रम में नए भवनों के निर्माण पर बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधि-22(1) के तहत गंगा नदी से 200 मीटर तक प्रभावी प्रतिबंध को, उपविधि-88 (सरकार द्वारा उपान्तरण एवं शिथिलीकरण) में प्रावधानित के अधीन, इस हद तक शिथिल किया जाता है कि पटना सुरक्षा बाँध (Patna Protection Wall) से दक्षिण (Towards countryside) में 15 मीटर की दूरी छोड़ने के बाद दोनों परिसरों में प्रस्तावित भवनों का निर्माण किया जा सकेगा। भवन उपविधि के शेष प्रावधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( चैतन्य प्रसाद )

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-11न०वि०न्या०-अकादमी-07/2018...../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-11न०वि०न्या०-अकादमी-07/2018...../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-05.03.19

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त -सह- अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

**Government of Bihar**  
**Urban Development & Housing Department**  
**NOTIFICATION**

No.-11न०वि०न्या०-अकादमी-07 / 2018 ३२९ /UD&HD/Patna, Dated- ०५.०३.१९

The request of Building Construction Department, Government of Bihar, to relax the restrictions effective under Byelaw 22(1) with regard to the construction of Multipurpose Building in the Proposed Redevelopment Scheme of Bihar Judicial Academy, Gai Ghat (Old premises) and construction of New Building in the Proposed Redevelopment Scheme of Patna Collectorate Building Premises under Byelaws - 88 was considered in the light of provisions of Patna Master Plan - 2031, Notification no. 2458 dated 07.10.2016 of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Provisions Building Byelaws. In the light of provisions made in clause - 5.4.6 (Special Area) of Patna Master Plan - 2031 for Development or Redevelopment of Government Projects; informations received from the Water Resources Department, Government of Bihar that the proposed site does not fall in active flood plain as per clause 3(l) of Notification no. 2458 dated 07.10.2016 of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and the opinion of the Water Resources Department, Government of Bihar with regard to amendment in provisions of Byelaws 22 [Construction near River Front] of Development Control Regulations of Patna Master Plan 2031, (Bihar Buidling Byelaws, 2014), the restriction effective on construction of the Proposed Multipurpose Building in the Premises of Bihar Judicial Academy, Gai Ghat (Old premises) and construction of New Building for redevelopment of Patna Collectorate Premises, within 200 meters from the River Ganga effective under Byelaw 22(1) is hereby relaxed under the provisions made in Byelaws-88 [Relaxation and Modification by the Government] to the extent that the proposed buildings in both the premises may be constructed after leaving a distance of 15 meter in South (towards countryside) from Patna Protection wall. All other provisions of the Bihar Building Byelaws, 2014 shall remain effective as before.

**By order of the Governor of Bihar**

Sd/-  
( Chaitanya Prasad )  
Principal Secretary  
Urban Development & Housing Department

**Memo No.-11न०वि०न्या०-अकादमी-07 / 2018.....//UD&HD/Patna, Dated- .....**

**Copy to-** Superintendant, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette to Urban Development and Housing Department.

Sd/-  
Principal Secretary

**Memo No.-11न०वि०न्या०-अकादमी-07 / 2018 ३२९.....//UD&HD/Patna, Dated- ०५.०३.१९**

**Copy to-** Chief Secretary, Bihar/ Development Commissioner -cum- Chairman, Bihar Urban and Planning Development Board, Bihar, Patna / Principal Secretary, Water Resource Department/ Principal Secretary, Building Construction Department/ Divisional Commissioner, Patna Divison, Patna / District Magistrate, Patna/ Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation, Patna/ Chief Executive Officer, Patna Metropolitan Area Authority, Patna/ Chief Architect, Building Construction Department, Patna/ P.S. to Honble's Minister, UD & HD for Kind information and necessary action.

Principal Secretary